कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

संख्या- 1975/ टी०आर० / तीन-1 / 2022

दिनांक २६ मई, 2022

समस्त पंजीयन अधिकारी / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन), उत्तराखण्ड।

विषय:—उत्तराखण्ड राज्य में पूर्व से पंजीकृत एवं अन्य राज्यों से अस्थायी पंजीयन/अनापित प्रमाण पत्र के आधार पर उत्तराखण्ड में पंजीकृत होने वाले वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रिजस्ट्रेशन प्लेट लगाये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि केन्द्रीय मोट्रयान नियामवली, 1989 के नियम—50 के अन्तर्गत सभी प्रकार के वाहनों में हाई सिक्योरिटी रिजस्ट्रेशन प्लेट की व्यवस्था दी गयी है। इसके अतिरिक्त मोट्रयान (नवीन उच्च सुरक्षा रिजस्ट्रीकरण प्लेट) आदेश, 2001 के अन्तर्गत राज्यों में हाई सिक्योरिटी रिजस्ट्रेशन प्लेट संबंधी योजना के क्रियान्वयन के संबंध में प्राविधान किए गए हैं।

- 2— उक्त व्यवस्थाओं के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाये जाने हेतु मैसर्स लिंक उत्सव एच०एस०आर०पी० प्रा० लि० को ,10 वर्ष के लिए अधिकृत किया गया था। उक्त 10 वर्ष की अविध दिनांक 22.12.2021 को समाप्त हो गयी है।
- 3— नए निर्मित होने वाले एवं पूर्व से पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की व्यवस्था के सुचारू रूप से क्रियान्वयन के संबंध में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या— का0आ0—1162(अ) दिनांक 04—12—2018 एवं अधिसूचना संख्या—का0आ0—6052(अ) दिनांक 06—12—2018 तथा अधिसूचना संख्या—का0आ0 1018(अ) दिनांक 25 फरवरी, 2019 निर्गत की गयी है। उक्त अधिसूचनाओं में स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 01, अप्रैल, 2019 के उपरान्त वाहनों की नम्बर प्लेट वाहन निर्माता द्वारा अपने डीलर को उपलब्ध कराई जाएगी और संबंधित डीलर द्वारा उन्हें मोटर वाहनों पर लगाया जाएगा।
- 4— अधिसूचना दिनांक 06—12—2018 के बिन्दु संख्या—4 में निम्न व्यवस्था की गयी है:—
 - (i) "मीजूदा वाहनों पर एचएँसआरपी लगाने के लिए, तीसरे रजिस्ट्रेशन चिन्ह सिहत सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट की आपूर्ति उस पर रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाये जाने के पश्चात वाहन निर्माताओं के डीलरों द्वारा की जाएगी और इसे लगाया जायेगा।"
 - (ii) "अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेटों के विनिर्माता या आपूर्तिकर्ता, यदि संबंधित राज्य द्वारा अधिकृत हैं, तो रजिस्ट्रीकरण चिह्न लगाने के पश्चात पुराने वाहनों पर तीसरे रजिस्ट्रीकरण च्विह्न सहित अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट की भी आपूर्ति कर सकते हैं।
- 5— उत्तराखण्ड राज्य में वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाए जाने हेतु अधिकृत किए गए आपूर्तिकर्ता का अनुबन्ध दिनांक 22—12—2021 को समाप्त हो चुका है और विभिन्न माध्यमों से पूर्व से पंजीकृत एवं अन्य राज्यों से अस्थायी पंजीयन/अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर उत्तराखण्ड में पंजीकृत होने वले वाहनों



पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश प्रदान

करने का अनुरोध किया जा रहा है।

6— अतः उक्त के दृष्टिगत पूर्व से पंजीकृत एवं अन्य राज्यों से अस्थायी पंजीयन/अनापित्त प्रमाण पत्र के आधार पर उत्तराखण्ड में पंजीकृत होने वाले वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:—

(1) प्रत्येक मोटरयान डीलर एवं वाहन की निर्माता कम्पनियां अति सुरक्षा रिजस्ट्रीकरण प्लेट एवं तीसरे पंजीयन चिन्ह के सम्बन्ध में केन्द्रीय मोटरयान नियामावली, 1989 के नियम—50, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या—का0आ0—6052(अ) दिनांक 06 दिसम्बर, 2018, का0आ0—1018(अ) दिनांक 25 फरवरी, 2019 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगी।

(2) इस प्रक्रिया को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए वाहन निर्माता अथवा उसके डीलर ऑनलाइन पोर्टल विकसित करेंगे, जिसमें आवेदक निम्नलिखित प्रस्तर—3 से 9 के मध्य उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार डीलर को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर अपने वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट स्थापित करने

की कार्यवाही पूर्ण करायेगा।

(3) आवेदक द्वारा अपनी वाहन निर्माता कम्पनी अथवा नजदीकी डीलर की अपने वाहन पर तीसरे रिजस्ट्रेशन चिन्ह सिहत हाई सिक्योटिरी रिजस्ट्रेशन प्लेट लगाने के सम्बन्ध में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदन से पूर्व आवेदक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वाहन पर कोई चालान लिम्बत नहीं है तथा वाहन की पंजीयन पुरितका निलिम्बत अथवा निरस्त नहीं की गयी है।

(4) ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् डीलर वाहन के विवरण का मिलान वाहन पोर्टल से करेगा। डीलर किसी भी दशा में वाहन स्वामी से किसी प्रपत्र की मांग नहीं करेगा तथा वाहन के उपयुक्त पाये जाने पर ऑनलाइन पोर्टल तथा

एस०एम०एस० के माध्यम से वाहन स्वामी को इसकी सूचना देगा।

(5) वाहन स्वामी डीलर से वाहन विवरण मैच होने की सूचना प्राप्त होने पर वाहन के डीलर को देय फीस ऑनलाइन माध्यम से अदा करेगा। डीलर द्वारा शो—रूम पर भी देय फीस को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जायेगा। ऑन—लाइन पोर्टल पर आवेदन पत्र तथा अदा की गयी फीस की रसीद को प्रिन्ट लेने की सुविधा दी जायेगी।

(6) यदि वाहन स्वामी द्वारा प्रस्तुत विवरण वाहन सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध विवरण से मैच नहीं करता है तो इस आशय की सूचना डीलर द्वारा वाहन स्वामी को ऑन—लाईन पोर्टल तथा एस०एम०एस० के माध्यम से तुरन्त प्रदान की जायेगी कि वह सम्बन्धित परिवहन कार्यालय में जाकर वाहन का विवरण अपडेट कराना सुनिश्चित करें तथा प्रश्नगत आवेदन—पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

(7) ऑनलाइन फीस जमा करने के पश्चात् वाहन स्वामी तिथि का ऑन—लाइन पोर्टल पर चयन करेगा ताकि निर्धारित तिथि पर वाहन स्वामी आकर अपने वाहन पर हाई

सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट स्थापित करा सके।

(8) डीलर द्वारा हाई सिक्योरिटी रिजस्ट्रेशन प्लेट तथा होलोग्राम आधारित स्टिकर उन्ही हाई सिक्योरिटी रिजस्ट्रेशन प्लेट निर्माताओं के अधिकृत स्रोतो से प्राप्त किया जायेगा, जिनके द्वारा केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली या केन्द्रीय



मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 126 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकत किसी परीक्षण एजेन्सी से प्रमाण–पत्र प्राप्त किया गया हो।

(9) प्रत्येक डीलर वाहन पर प्लेट स्थापित करने के पश्चात् वाहन पोर्टल पर हाई सिक्योरिटी रिजस्ट्रेशन प्लेट से सम्बन्धित डिटेल्स अपलोड करेगा तथा उसके प्रिन्ट आउट की एक प्रित वाहन स्वामी को प्रदान करेगा। हाई सिक्योरिटी रिजस्ट्रेशन प्लेट स्थापित करने के पूर्व आवेदक द्वारा आवेदन—पत्र की एक हस्ताक्षरित प्रित भी डीलर को उपलब्ध कराई जायेगी। डीलर किसी वाहन में हाई सिक्योरिटी प्लेट स्थापित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि जिस वाहन के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है, नम्बर प्लेट भी उसी वाहन पर स्थापित की जाये, अर्थात् डीलर वाहन प्रस्तुत होने पर चेसिस एवं इंजन नम्बर के मिलान करने के पश्चात् ही हाई सिक्योरिटी रिजस्टेशन प्लेट लगायेगा।

(10) प्रत्येक डीलर वाहन निर्माता द्वारा उपलब्ध कराये गये हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन

प्लेट एवं तीसरे रजिस्ट्रेशन चिन्ह का ही प्रयोग करेगा।

11) आवेदन पत्र प्राप्त होने से लेकर वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाये जाने तक की कार्यवाही ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही की जायेगी। कोई भी

डीलर मैनुअल प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही नहीं करेगा।

(12) उत्तराखण्ड राज्य में सभी वाहन निर्माता/डीलर्स आदेश जारी होने के एक सप्ताह के भीतर मौजूदा वाहनों पर तीसरे रजिस्ट्रेशन चिन्ह सहित हाई, सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अवेदन करने/लगाने हेतु ऑनलाईन व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। अतः समस्त पंजीयन अधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)

अपने जनपद के डीलरों की बैठक कर उन्हें प्रक्रिया से अवगत कराते हुए इस आदेश की

प्रति उन्हें प्राप्त करा दें, ताकि इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

रणवीर सिंह चौहान) परिवहन आयुक्त,) उत्तराखण्ड।

संख्याः— १९२५ /टी०आर० / तद्दिनांकि । प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासीन।

2. समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन / प्रवर्तन) उत्तराखण्ड।

3. समस्त सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक), उत्तराखण्ड।

- 4. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ कि उक्त प्रणाली हेतु आवश्यक integration इत्यादि की व्यवस्था करने का कष्ट करें।
- 5. समस्त वाहन निर्माता कम्पनी द्वारा SIAM, Main Building, Core 4B 5th Lodhi Road, New Delhi .

6. समस्त डीलर्स, उत्तरखण्ड राज्य द्वारा Federation of Automobile Dealers Association (FADA), Uttarakhand.

7. प्रभारी, कम्प्यूटर अनुभाग।

8. गार्ड फाईल

(रणवीर सिंह चौहान) परिवहन आयुक्त, रीउत्तराखण्ड।